प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 20.08.2026

- **थाना सट्टी पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले जाने एवं दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 16.08.2026 को थाना सट्टी पर वादिनी द्वारा लिखित तहरीर बावत वादिनी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष को अभियुक्त आकाश द्वारा बहला फुसला कर ले जाने के सम्बन्ध में दी गयी। जिसके आधार पर थाना सट्टी पर मु0अ0सं0 48/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम आकाश पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम महकापुर थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया। थाना सट्टी पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए पीड़िता/ अपहृता को बरामद कर, बयान पीड़िता / अपहृता के धारा 180/183 बीएनएसएस, मेडिकल परीक्षण एवं अन्य साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 115(2)/65(1) बीएनएस व धारा 5L/6 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

आज दिनांक 20.08.2026 को थाना सट्टी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त आकाश पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम महकापुर थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात को जहांगीरपुर चौराहे के पास थाना क्षेत्र सट्टी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. आकाश उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम महकापुर थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त आकाश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 48/2026 धारा 87/137(2)/65(1)/115(2) BNS व 5L/6 पॉक्सो एक्ट थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना सट्टी पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री कालीचरण,
2. उ0नि0 श्री रामलखन,
3. का0 381 अजय कुमार,
4. कां0 1174 विवेक कुमार।